न्यायालय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1666–दो/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–7–05 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 26/2004–05/अ.मा.

महाराजसिंह पुत्र रामराय सिंह
जाति लोधे राजपूत निवासी ग्राम बरोठी
तहसील अटेर जिला भिण्ड म.प्र. ----- आवेदक

विरूद्ध

1– भारत सिंह पुत्र श्री गुलजारी सिंह
2– समरथ सिंह पुत्र श्री गुलजारी सिंह **फौत वारिस** –
3– मुस. रामकली वेवा समरथ सिंह
4– राम निवास
5– राजकुमार
पुत्रगण समरथ सिंह समस्त जाति लोधा राजपूत
निवासीगण ग्राम बहोरपुरा तहसील पोरसा
जिला मुरैना म.प्र.
6– अतिराज सिंह
7– शिवचरण सिंह पुत्रगण अमरसिंह
जाति राठौर समस्त निवासीगण्स
ग्राम हरिहर का पुरा मौजा कुरैठा
तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र. ----- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजमेर सिंह

अनावेदक कं. 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी

:: आदेश ::

(आज दिनांक 09-03-15 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 26/2004–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 14–7–05 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नाधीन भूमियां के संबंध में बटवारा आदेश विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 29/91—92/अ—27 में पारित आदेश दिनांक 30—11—92 द्वारा किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक महाराजसिंह द्वारा प्रथम अपील एस.डी.ओ. के समक्ष दिनांक 2—8—03 को की गई जिसके साथ उन्होंने अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26—10—04 द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील आवेदक महाराजसिंह द्वारा की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । इस प्रकार इस प्रकरण में विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने कोई अवैधानिकता की है या नहीं ?

3/ आवेदक अधिवक्ता एवं अनावेदक क. 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का है । आवेदक द्वारा विवादग्रस्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 16 वर्ष उपरांत अपील की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में आवेदक द्वारा जानकारी के स्त्रोत के संबंध में दिए गए तर्कों पर विस्तार से विवेचना करते हुए उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अविश्वसनीय माना है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के जो निष्कर्ष इस प्रकरण में हैं वे औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत हैं और उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर